रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)
मध्य प्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 04/14/01/22040/21

यह प्रमाणित किया जाता है कि Suman Devi Sikshan Sansthan,समिति जो B-8, 324 Anand Enclaves, Dayanand Saraswati Ward, Napier Town तहसील जबलपुर जिला जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 18 मार्च 2021 को पंजीयित की गई है।

दिनांक 18 मार्च 2021

DOON INTERNATIONAL SCHOOL
DISJ
JABALPUR

Signature valid
Digitally Signed By SANJAY KUMAR TIWARI
(Personal)
Date : 18-Mar-2021 13:15:08 IST

समितियों के रजिस्ट्रार

Note : This is a Digitally Signed document On 18/03/2021 01:13 PM Server Name : BHASKARACHARYA

Vandana
Principal
Doon International School
Jabalpur (M.P.)

1077/25
12/9/2025

प्रारूप - सात

(नियम 11 देखिये)

मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रं.44 सन1973) की धारा 27 के अधीन शासी. निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता :- सुमन देवी शिक्षण संस्थान

बी - 8, 324 आनंद एन्क्लेव दयानंद सरस्वती वार्ड

नेपियटाउन जबलपुर म.प्र.

2. पंजीयन क्रमांक तथा दिनांक :- 18 मार्च 2021 04/14/01/22040/21

3. साधारण सभा निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख :- 27/03/2025

4. विद्यमान पदाधिकारियो की सूची -: कार्यकाल तारीख 31/04/2024 से तारीख 30/03/2027 तक

अनु. क्र.	नाम पिता का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
01	अरूण प्रताप सिंह पिता श्री अवधेश सिंह	एसएफ 87 सुख सागर वेली ग्वारीघाट जबलपुर	अध्यक्ष	गैस एजेंसी	[signature]
02	आशी सिंह पिता श्री अरूण प्रताप सिंह	एसएफ 87 सुख सागर वेली ग्वारीघाट जबलपुर	उपाध्यक्ष	कोचिंग क्लास	Rashi
03	दीपमाला सिंह पति श्री अरूण प्रताप सिंह	एसएफ 87 सुख सागर वेली ग्वारीघाट जबलपुर	सचिव	रेस्टोरेंट	[signature]
04	यशराज सिंह पिता श्री अरूण प्रताप सिंह	एसएफ 87 सुख सागर वेली ग्वारीघाट जबलपुर	कोषाध्यक्ष	ठेकेदार	Yashraj
05	सुमन देवी सिंह पति श्री अवधेश सिंह	104 मनीगाँव, मैनपुरी उत्तर प्रदेश	संयुक्त सचिव	गृहणी	सुमन देवी
06	राहुल असाटी पिता श्री	1414 बी.टी.तिराहा	सदस्य	प्राइवेट कार्य	Rahul

सुमन देवी शिक्षण संस्थान
अध्यक्ष

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

Vandana
Principal
Doon International School
Jabalpur (M.P.)

DOON INTERNATIONAL SCHOOL ★ JABALPUR ★ DISJ

	विपिन कुमार असाटी	गढा,जबलपुर			
07	सुमंत राय पिता श्री राम विशाल राय	18 ज्वालामुखी जेलरोड वार्ड नं. 11 सिहोरा जबलपुर	सदस्य	प्राईवेट कार्य	[signature]
08	अशोक सिंह पिता श्री अरविन्द सिंह	164 वार्ड नं. 1 सिहोरा,जबलपुर	सदस्य	प्राईवेट नौकरी	[signature]

5. मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र.44 सन1973) की धारा 27 के अधीन .... रुपये की वार्षिक फीस चालान कमांक .... दिनांक .... के द्वारा जमा कर दी गयी है उसकी मूल प्रति संलग्न है।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

घोषणापत्र

मैं अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्री अवधेश सिंह आयु 52 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसोयटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है जो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड की दायी रहूँगा।

जबलपुर

दिनांक 27/03/2025

[signature] 17/9/2025
Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

हस्ताक्षर [signature]

नाम :- अरूण प्रताप सिंह

Vandana
Principal
Doon International School
Jabalpur (M.P.)

DOON INTERNATIONAL SCHOOL
DISJ
JABALPUR

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : S63601073807I6032021 — अनुमोदन दिनांक : 17 Mar 2021

1. सोसायटी का नाम Suman Devi Sikshan Sansthan होगा।

2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक B-8, 324 Anand Enclaves, Dayanand Saraswati Ward, Napier Town 482007 तहसील Jabalpur जिला Jabalpur मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9425800271 ईमेल आईडी rahulasati46@yahoo.com

3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

1 बालक एवं बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय का संचालन।
2 आर्थिक रूप से कमजोर बालक बालिकाओ हेतु शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था।
3 वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार उच्च प्रशिक्षित अध्यापको के माध्यम से छात्रों को शिक्षित करना।
4 बालक बालिकाओ के शारीरिक मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए खेलकूद एवं कम्प्यूटर के माध्यम से उन्हें प्रेरित करना।
5 सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित करना।
6 विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का संचालन करना।
7 बालक बालिकाओं में शिक्षा के साथ - साथ अनुशाशन की भावना को बढ़ावा तथा राष्ट्रनिर्माण में उनकी भूमिका हेतु प्रयास करना
8 समाज में शिक्षा के प्रति तथा पर्यावरण के प्रति लोगो को जागरूक करना।
9 शिक्षा में सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना।
10 वृद्धो के कल्याण हेतु समय - समय पर उनकी स्थिति में आवश्यक सुधर हेतु कार्य करना
11 नशामुक्ति एवं अन्य कुरीतियों के रोकथाम हेतु सामाजिक स्तर पर पहल करना।
12 स्वास्थय शिविर एवं अन्य कार्य के लिए समय - समय पर समाज में कार्य करना एवं जागरूकता लाना।

4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्विष्ट की गई है:-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	अरुण प्रताप सिंह	अवधेश सिंह	अध्यक्ष	एस एफ 87, सुख सागर वैली, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	गैस एजेंसी
2	भानुप्रताप सिंह	अवधेश सिंह	उपाध्यक्ष	104, मनीगॉव, , Mainpuri, Uttar Pradesh	कांट्रेक्टर
3	सुमन देवी सिंह	अवधेश सिंह	सचिव	104, मनीगॉव, , Mainpuri, Uttar Pradesh	गृहणी
4	यशराज सिंह	अरुण प्रताप सिंह	कोषाध्यक्ष	एस एफ 87, सुख सागर वैली, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	कांट्रेक्टर
5	दीपमाला सिंह	अरुण प्रताप सिंह	संयुक्त सचिव	एस एफ 87, सुख सागर वैली, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	रेस्टुरेंट
6	राहुल असाटी	बिपिन असाटी	सदस्य	1414/1, बी टी तिराहा गढ़ा, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	वेतन
7	सुमंत राय	रामविशाल	सदस्य	18/1, ज्वाला मुखी जेल रोड वार्ड न 11, Sihora, Jabalpur, Madhya Pradesh	वेतन
8	अशोक सिंह	अरविन्द सिंह	सदस्य	164/1, वार्ड न 1, Sihora, Jabalpur, Madhya Pradesh	वेतन

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

Vandana
Principal
Doon International School
Jabalpur (M.P.)

DOON INTERNATIONAL SCHOOL DISJ JABALPUR

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	अरुण प्रताप सिंह , अवधेश सिंह, एस एफ 87, सुख सागर वैली, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	
2	भानुप्रताप सिंह , अवधेश सिंह, 104, मनीगॉव, , Mainpuri, Uttar Pradesh	भानुप्रताप सिंह
3	सुमन देवी सिंह , अवधेश सिंह, 104, मनीगॉव, , Mainpuri, Uttar Pradesh	सुमन गौर
4	यशराज सिंह , अरुण प्रताप सिंह, एस एफ 87, सुख सागर वैली, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	Yashraj
5	दीपमाला सिंह , अरुण प्रताप सिंह, एस एफ 87, सुख सागर वैली, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	दीपमाला सिंह
6	राहुल असाटी , बिपिन असाटी, 1414/1, बी टी तिराहा गढ़ा, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	Rahul
7	सुमंत राय , रामविशाल, 18/1, ज्वाला मुखी जेल रोड वार्ड न 11, Sihora, Jabalpur, Madhya Pradesh	सुमन्त राय
8	अशोक सिंह , अरविन्द सिंह, 164/1, वार्ड न 1, Sihora, Jabalpur, Madhya Pradesh	अशोक सिंह

6. हम निम्नानुसार पदाधिकारी / सदस्य आदर्श उप-विधियाँ प्रारूप-एक क को सोसाइटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

सुमन देवी शिक्षण संस्थान

(अध्यक्ष/सदस्य) अध्यक्ष

सुमन देवी शिक्षण संस्थान (सचिव) सुमन गौर सचिव

सुमन देवी शिक्षण संस्थान (कोषाध्यक्ष/सदस्य) Yashraj कोषाध्यक्ष

दिनांक.......................................

DOON INTERNATIONAL SCHOOL DISJ JABALPUR

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक PUNB0127600147516032021303700

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Permanent Account Number — पहचान पत्र का क्रमांक BJPPS7699L

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Electricity bill — पते का क्रमांक IVRS0541561111

सत्य-प्रतिलिपि

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-.............................
साक्षी का नाम :- नितेश तिवारी
साक्षी का पिता/पति:- श्री माधव प्रसाद तिवारी
पूर्ण पता :- 1119 परसवारा कॉलोनी धन्वन्तरि नगर जबलपुर

Vandana
Principal
Doon International School
Jabalpur (M.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BH 354060

(1)

Regn - 22040/20
18/3/2021

CANCELLED

Vandana
Principal
Doon International School
Jabalpur (M.P.)

DOON INTERNATIONAL SCHOOL
DISJ
JABALPUR

23/3/2021
Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society

नियमावली

आवेदन क्रमांक : S636010738071603202 1 **अनुमोदन दिनाँक : 17 Mar 2021**

1. सोसायटी का नाम Suman Devi Sikshan Sansthan होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक B-8, 324 Anand Enclaves, Dayanand Saraswati Ward, Napier Town 482007 तहसील जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4. **सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-**

1	बालक एवं बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय का संचालन।
2	आर्थिक रूप से कमजोर बालक बालिकाओ हेतु शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था।
3	वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार उच्च प्रशिक्षित अध्यापको के माध्यम से छात्रों को शिक्षित करना ।
4	बालक बालिकाओ के शारीरिक मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए खेलकूद एवं कम्प्यूटर के माध्यम से उन्हें प्रेरित करना।
5	सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित करना।
6	विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का संचालन करना।
7	बालक बालिकाओ में शिक्षा के साथ - साथ अनुशाशन की भावना को बढ़ावा तथा राष्ट्निर्माण में उनकी भूमिका हेतु प्रयास करना
8	समाज में शिक्षा के प्रति तथा पर्यावरण के प्रति लोगो को जागरूक करना।
9	शिक्षा में सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना।
10	वृद्धो के कल्याण हेतु समय - समय पर उनकी स्थिति में आवश्यक सुधर हेतु कार्य करना।
11	नशामुक्ति एवं अन्य कुरीतियों के रोकथाम हेतु सामाजिक स्तर पर पहल करना।
12	स्वास्थय शिविर एवं अन्य कार्य के लिए समय - समय पर समाज में कार्य करना एवं जागरूकता लाना।

5. **सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-**

(अ) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।

(स) साधारण सदस्यः वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।

(द) अवैतनिक सदस्यः सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

Principal
Doon International School
Jabalpur (M.P.)

सुमन देवी शिक्षण संस्थान — अध्यक्ष
सुमन देवी शिक्षण संस्थान — सचिव
सुमन देवी शिक्षण संस्थान — कोषाध्यक्ष

DOON INTERNATIONAL SCHOOL DISJ JABALPUR

1/4

6. **सदस्यता की प्राप्ति**-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा| ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यता-** संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-

1.आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो |

8. **सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:-

1. मृत्यु हो जाने पर|
2. पागल हो जाने पर|
3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर|
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर|
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-**

1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर|
3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. **(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी | उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब)प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

DOON INTERNATIONAL SCHOOL DISJ JABALPUR

Vandana
Principal
Doon International School
Jabalpur (M.P.)

सुमन देवी शिक्षण संस्थान
हस्ताक्षर
अध्यक्ष अध्यक्ष

हस्ताक्षर
सुमन देवी शिक्षण संस्थान
सुमन गौर
सचिव

हस्ताक्षर
सुमन देवी शिक्षण संस्थान
कोषाध्यक्ष

11.	**साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो। (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।
12.	**प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा। (1)अध्यक्ष 1,(2)उपाध्यक्ष 1,(3)सचिव 1,(4)कोषाध्यक्ष 1,(5)संयुक्त सचिव 1,(6)सदस्य 3
13.	**प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।
14.	**प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-** (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना। (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना। (स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना। (द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना। (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए। (च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी। (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाऐगी।
15.	**अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
16.	**उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17.	**सचिव(मंत्री) के अधिकार-** (क) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। (ख) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (ग) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (घ) सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।
18.	**संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा

सुमन देवी शिक्षण संस्थान — अध्यक्ष — अध्यक्ष

हस्ताक्षर सुमन देवी शिक्षण संस्थान — सचिव — सचिव

हस्ताक्षर सुमन देवी शिक्षण संस्थान — कोषाध्यक्ष — कोषाध्यक्ष

DOON INTERNATIONAL SCHOOL DISJ JABALPUR

Vandana
Principal
Doon International School
Jabalpur (M.P.)

19.	**कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20.	**बैंक खाता-** सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21.	**पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।
22.	**विघटन-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/ 5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23.	**सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

सुमन देवी शिक्षण संस्थान
हस्ताक्षर
अध्यक्ष अध्यक्ष

सुमन देवी शिक्षण संस्थान
सचिव
सचिव

हस्ताक्षर
सुमन देवी शिक्षण संस्थान
कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

सत्य-प्रतिलिपि

23/3/2021
Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

Vandana
Principal
Doon International School
Jabalpur (M.P.)

DOON INTERNATIONAL SCHOOL
DISJ
JABALPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BH 354061

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

(2)

नियमावली की प्रति संलग्न

CANCELLED

DOON INTERNATIONAL SCHOOL DISJ JABALPUR

Vandana
Principal
Doon International School
Jabalpur (M.P.)

23/5/2021

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur